तत्काल उपलब्ध नहीं है, चूंकि इन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों से संग्रहीत करना पड़ेगा, जिसमें काफी समयावधि लगती है । यह बात महसूस की गई है कि इन ब्यौरों के संग्रहण तथा संकलन किए जाने में लगी। समयावधि तथा किए गए प्रयास, इस प्रयोजन की उपलब्धि के अनुरूप नहीं होंग । उच्च ग्रेड के कोयले का आवंटन किए जाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें समय समय पर माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाले अनुरोध भी शामिल हैं तथा इन अनुरोधों का प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर निपटारा किया जाता है ।

Pit-head stock of Coal India Limited

*213. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the pit-head stock of Coal India Limited during March, 1992, 1993 and 1994;

(b) what is the book value of the stock during these years;

(c) whether this value has been taken while computing profit|loss figures of Coal India Limited; and

(d) what is the actual realisable value of the stock and what is the process of evaluating realisable value of the stock?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) The pithead, stocks of Coal India Limited during March 1992, 1993 and 1994 were as under:

(in million tonnes)

As on	Coal Stocks
31-3-92	47.64
31-3-93	50.10
31-3-94 (Provisional)	49.69

(b) The value of coal stocks in Coal India Limited was as under:

(Rs. in crores)

As on	Value of coal stocks
31-3-92	1404.69
31-3-93	1660.64
31-3-94 (Provisional)	1681.26

(c) and (d) The value of stocks has been taken into account while compating profit|loss figures of Coal India Limited in the respetive years.

According to information furnished by Coal India Limited, the coal stocks at year end are valued at, net realisable value based on the actual realisation on the despatch of coal during the last quarter of the year, or at selling price of declared grade, whichever is lower. Further, a provision of 1.5 per cent of value of production during the year is made towards deterioration in quality.

कृषि उत्पादों, खाद्य तथा पेय पदार्थों का निर्यात/आयात

*214. **श्री राघवजी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, से 30 अप्रैल, 1994 तक की अवधि के दौरान कुल कितनी-कितनी राशि के कृषि उत्पादों, खाद्य तथा पेय पदार्थों का आयात और निर्यात किया गया ; और

(ख) गत वर्ष इसी अवधि के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं के आयात और निर्यात का मूल्य कुल कितना-कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1994 और अप्रैल, 1993 में कृषि तथा सबद्ध वस्तुओं के निर्यात और आयात (कच्ची कपास को छोड़कर) के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निर्यात	आयात
अप्रल 1994	918.79	224.62
अप्रैल, 1993	869.33	135.40

(स्रोत : डीजीसीआई एड एस)

गुजरात राज्य को लघु पन-बिजली संयंत्रों/ परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई धनराशि

*215. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को लघु पन-बिजली संयंत्रों परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को, विशेष रूप से गुजरात को कितनी धनराशि प्रदान की गई है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए ऐसे संयंत्रों परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान इन संयंत्रों परियोजनाओं के लिए राज्यों को विशेष रूप से गुजरात राज्य को, कितनी-कितनी धनराशि आवंटित किए ज.ने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) केन्द्र सरकार सामान्यतया राज्यों को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए ब्लाक योजना सहायता उपलब्ध करा रही है । यह सहायता विशिष्ट सेक्टरों परियोजनाओं स्कीमों को कब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती जब तक कि वह राज्यों द्वारा "विशेष समस्यायें" मानदण्ड के अंतर्गत उल्लिखित और नियत न की गई हों । इसके अतिरिक्त, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.ा न.ई. एस.) ग्रिा अथवा ग्राम-ग्रिड दोनों में निरूपण आधार पर विद्युत और यांत्रिकी उपकरणों और सिविल कार्यों पर निर्धारित पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत को कवर करने के लिए 3 मेगा वाट तक की छोटी लघु पन परियोजनायें संस्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान करता है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान छोटे लघु पन ऊर्जा विकास के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । ऐसे कार्यक्रमों के लिए एम.ई.एन.एस. द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के अलावा, योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य योजना में भी इसका प्रावधान किया जाता है । आठवीं योजना अवधि के लिए छोटी पन परियोजनाओं (2 मेगावाट से अधिक और 15 मेगावाट से कम) का अनुमोदित परिव्यय 292.68 करोड़ रुपए है । गुजरात राज्य में ऐसी कोई छोटी पन परियोजना (2 मेगावाट से अधिक और 15 मेगावाट से कम) नहीं है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 6 राज्यों में 53.6 मेगावाट की क्षमता वाली छोटी पन विद्युत परियोजनायें संस्थापित की गई है । (ब्यौरे विवरण-I) में दिए गए हैं (नीचे देखिए) ।

(घ) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए 1994-95 के दौरान 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । छोटी पन परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना 1994-95 का अनुमोदित परिव्यय 9009 करोड़ रुपए हैं । चूंकि गुजरात में कोई छोटी पन परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है । इसलिए वर्ष 1994-95 के लिए राज्य को कोई योजना परिव्यय उपलब्ध नहीं कराया गया हैं । आठवीं योजना अवधि और वर्ष 1994-95 के लिए छोटी पन-परियोजनाओं का राज्य-वार आवंटन विवरण-II में दिया गया है ।